पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 389/2021

1. मनीष कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
2. नरेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।

:-- **वादीगण**

ब ना म

1. रामकुमार पुत्र रामजस जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
2. मन्जू पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
3. सीमा पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रविन्द्र मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 448/206 के खसरा सं0 106 की 0.2150है0, खसरा सं0 125 की 0.7210है0, खसरा सं0 128 की 5.3870है0 कुल 6.3230है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम 1/3 हिस्सा व रोही मोठसरा खाता सं0 142/48 के खसरा सं0 129 की 1.5430है0 खसरा सं0 262 की 3.6670है0 खसरा सं0 289 की 3.1740है0 खसरा सं0 320 की 2.0230है0 कुल 10.4070है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार की बजाय वादी सं0 1 मनीष कुमार व वादी सं0 2 नरेश कुमार व प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.01.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 389/2021

1. मनीष कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
2. नरेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।

:— **वादीगण**

ब नाम

1. रामकुमार पुत्र रामजस जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
2. मन्जू पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
3. सीमा पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : **वादी**

वकील श्री रविन्द्र मोठसरा: **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक : 19.01.22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 448/206 के खसरा सं0 106 की 0.2150है0, खसरा सं0 125 की 0.7210है0, खसरा सं0 128 की 5.3870है0 कुल 6.3230है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम 1/3 हिस्सा व रोही मोठसरा खाता सं0 142/48 के खसरा सं0 129 की 1.5430है0 खसरा सं0 262 की 3.6670है0 खसरा सं0 289 की 3.1740है0 खसरा सं0 320 की 2.0230है0 कुल 10.4070है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा रामजस की खातेदारी हुआ करती थी। रामजस के देहान्त के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीकी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 4 स्टेट की ओर से जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 मनीष कुमार पुत्र रामकुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी मोठसरां के खाता सं0 142/48 प्रदर्श

Scanned with CamScanner

1, दादालाई जमाबंदी कमशः प्रदर्श 1, 2, 3, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 4, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीकी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है।अतः मुताबिक राजीनामाव वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मोठसरा व भनाई के राजस्व रिकार्ड मे अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यापितिलिपि जमाबंदी जमाबंदी मोठसरा के खाता सं0 142/48 प्रदर्श 1, दादालाई जमाबंदी कमशः प्रदर्श 1, 2, 3, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 4, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 4 वारिस प्रमाण के अनुसार रामकुमार के दो पुत्र मनीष कुमार, नरेश कुमार व दो पुत्री मंजू व सीमा तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 2 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 448/206 के खसरा सं0 106 की 0.2150है0, खसरा सं0 125 की 0.7210है0, खसरा सं0 128 की 5.3870है0 कुल 6.3230है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम 1/3 हिस्सा व रोही मोठसरा खाता सं0 142/48 के खसरा सं0 129 की 1.5430है0 खसरा सं0 262 की 3.6670है0 खसरा सं0 289 की 3.1740है0 खसरा सं0 320 की 2.0230है0 कुल 10.4070है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार की बजाय वादी सं0 1 मनीष कुमार व वादी सं0 2 नरेश कुमार व प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर R.S.
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़